न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

बनवारी बनाम न्यू(सिकारी)

दावा सं. 140/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
29-11-23	पत्रावली पेश हुई। वकूजाय फरीकन उपस्थित/पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 08-12-23 को पेश हो।
08-12-23	पत्रावली पेश हुई। वकूजाय फरीकन उपस्थित/पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 03-1-24 को पेश हो।
3-1-24	पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में पूर्व में चाही गई वस्तुस्थिति तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त हुयी। जो शामिल पत्रावली की गई। वास्ते पेश होने साक्ष्य वादीगण पत्रावली दिनांक 09-01-2024 को पेश हो। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
09.01.24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वादी मुख्य परीक्षण में साक्ष्य वादी में वादी बनवारी लाल पुत्र श्योसहाय आयु 40 वर्ष जाति अहीर व गवाहान में गवाह मक्खनलाल पुत्र श्योसहाय आयु 37 वर्ष जाति अहीर के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये जो बाद तस्दीक शामिल मिशल किये गये। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो जाने व साक्ष्य वादी हो से अंतिम बहस सुनी जाकर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत उद्घोषणा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर डिक्री किया जाता [illegible] में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर [illegible] निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल [illegible] होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। (वादी) बनवारी गवाह मक्खन [illegible] 09/01/24 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
140 / 2023	2023 / 405	17.08.2023	09.01.2024

उनवान प्रकरण

1. बनवारीलाल पुत्र श्योसहाय आयु 40 वर्ष जाति अहीर निवासी ग्राम हथोरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकरराजस्थान।

—वादी—

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—प्रतिवादी —

उपस्थिति :–

श्री कमल कुमार शर्मा एड0 वादी अभिभाषक।

दावा बाबत्उद्‌घोषणा
(अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 610, 611, 612, 614, 615, 617 कुल किता 6 कुल रकबा 3.99 हैक्टर तन् ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं। कृषि भूमि खसरा नम्बर 196 रकबा 1.11 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 1.96 हैक्टर तन् ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं।कृषि भूमि खसरा नम्बर 600/948 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.03 हैक्टर तन् ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है।श्योसहाय पिता बालू के पांच पुत्र क्रमशः सरदारमल, किशनलाल, बनवारीलाल (वादी), मक्खनलाल, धोलूराम उत्पन्न हुये हैं परन्तु वादी का [illegible] ये विरासत बनवारीलाल की जगह सहवन व भूलवश बंशीलाल उपरोक्त [illegible] हुआ हैं, जो केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों यथा तात्कालीन पटवारी [illegible] कर्मचारियो द्वारा भूलवश व सहवन से दर्ज हुयी त्रुटि हैं जो दुरूस्त किये जाने योग्य हैं।वादी [illegible] गलत नाम दर्ज होने से वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

को राज्य सरकार व केन्द सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वादी को वंचित रहना पड़ता है इस कारण वादी का उक्त गलत नाम बंशीलाल के स्थान पर बनवारीलाल दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादी के समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी, परिवार राशनकार्ड, अंकतालिका, पेन कार्ड सभी सरकारी दस्तावेजो में वादी का नाम बनवारीलाल ही दर्ज है।वादी ने अपने गलत नाम दर्ज को सही दर्ज कराने हेतु दिनांक 13.06.2023 को तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर आदि से निवेदन किया तो उन्होने न्यायालय में वाद दायर कर नाम सही कराने बाबत् कहने पर वादी द्वारा यह वादपत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।बिनाय दावा प्रतिवादी द्वारा राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने से दिनांक 13.06.2023 को इंकार होने से यही बिनाय दावा पैदा होकर दावा पेश करना लाजिम हुआ है।अतः वादी ने अनुतोष इस प्रकार चाहा है किकृषि भूमि खसरा नम्बर 610, 611, 612, 614, 615, 617 कुल किता 6 कुल रकबा 3.99 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 196 रकबा 1.11 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 1.11 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 600/948 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.03 हैक्टर तन् ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में वादी का नाम बंशीलाल व बंशी पुत्र श्योसहाय के स्थान पर बनवारीलाल पुत्र श्योसहाय दर्ज किया जाकर इसी अनुसार जरिये डिक्री राजस्व रिकार्ड मे अमल कराया जाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। सम्यक तामिल के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वादपत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक प्रतीत होने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी होकर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया। वादी के मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र व गवाह/साक्ष्य में बनवारीलाल पुत्र श्योसहाय आयु 40 वर्ष जाति अहीर निवासी हथोरा व मक्खनलाल पुत्र श्योसहाय आयु 37 वर्ष जाति अहीर निवासी हथोरा के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुये जो शामिल मिशल किये गये। वकील वादी ने वादपत्र में बहस आज ही सुनी जाकरनिस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रकरण में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट हो जाने व साक्ष्य वादी/गवाहान के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश कर दिये जाने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकील वादीकी बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीद्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074-20[illegible] जमाबंदी, मिलान क्षैत्रफल, पुरानी जमाबंदीयां, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की अंकतालिका, पेन कार्ड, प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

साक्ष्य वादी/गवाह के मुख्य परीक्षण में पेश लिखितशुदा शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से कृषि भूमि खसरा नम्बर 610, 611, 612, 614, 615, 617 कुल किता 6 कुल रकबा 3.99 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 196 रकबा 1.11 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 1.11 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 600/948 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.03 हैक्टर तन् ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में वादी का नाम बंशी उर्फ बंशीलाल पुत्र श्योसहाय के स्थान पर बनवारीलाल पुत्र शिव सहाय दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उक्तानुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् उद्घोषणा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 610, 611, 612, 614, 615, 617 कुल किता 6 कुल रकबा 3.99 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 196 रकबा 1.11 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 1.11 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 600/948 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.03 हैक्टर तन् ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में वादी का नाम बंशी उर्फ बंशीलाल पुत्र श्योसहाय के स्थान पर बनवारीलाल पुत्र शिव सहाय दुरूस्त किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

09/01/24

(दिलीप सिंह)

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)

श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (मोहर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh

Date: 2024.02.02 11:23:17 IST

Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 09.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/01/24

(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)